भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †473

दिनांक 22.07.2026 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात निर्भरता को कम करना

†473. श्री ईश्वरस्वामी के.:

श्री अनुराग शर्माः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ भू तत्वों सहित महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में भारत की वर्तमान आयात निर्भरता के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रमुख उद्देश्यों, कार्यान्वयन समय-सीमा, बजटीय आवंटन और लक्ष्यों के साथ-साथ 'महत्वपूर्ण खनिज मिशन' के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए किए गए द्विपक्षीय समझौतों, रणनीतिक साझेदारियों, विदेशी अन्वेषण परियोजनाओं और खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण का ब्यौरा क्या है और इन पहलों के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है और अपेक्षित परिणाम क्या हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क): देश में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों जैसे ग्रेफाइट, फॉस्फेट, टाइटेनियम, जिरकोनियम और दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) का काफी उत्पादन होता है, जबकि भारत कई महत्वपूर्ण खनिजों,

जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, पोटाश आदि की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है।

(ख) और (ग):

- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के प्रमुख उद्देश्य हैं:

  (i) घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता सुनिश्चित करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना।
  (ii) खनिज गवेषण, खनन, सज्जीकरण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में नवाचार, कौशल विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकीय, विनियामक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाकर महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना।

- एनसीएमएम को 16,300 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। एनसीएमएम निम्नलिखित आउटपुट/लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है:

| प्रमुख शीर्ष | कुल<br>(वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक) |
|---|---|
| घरेलू महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाएं | 1200 |
| विदेशी महत्वपूर्ण खनिज खानें | 50 |
| पुनर्चक्रण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम - कुल पुनर्चक्रित सामग्री (केटी) | 400 |
| महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में पेटेंट | 1000 |
| कौशल विकास | 10000 |
| खनिज प्रसंस्करण पार्क | 4 |
| उत्कृष्टता केंद्र | 3 |
| खनिज भंडार (संचयी) | 5 |

एनसीएमएम को अनुमोदन के बाद से कई पहलें शुरू की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए ₹ 1,500 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम को अनुमोदित किया। इस स्कीम के दिशानिर्देश दिनांक 02.10.2025 को जारी किए गए। इस स्कीम को निजी क्षेत्र से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
- खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने गवेषण अनुज्ञप्ति के 11 ब्लॉकों की भी सफलतापूर्वक नीलामी की, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों के छह ब्लॉक शामिल हैं।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में वर्ष 2025 में संशोधन किया गया, ताकि विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और खनन में सहायता प्रदान करने के लिए एनएमईडीटी के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सके।
- ओवरबर्डन/टेलिंग्स/फ्लाई ऐश/रेड मड आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिनांक 14.11.2025 को दिशानिर्देश जारी किए गए।
- केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान, 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। बजट 2025-26 में, कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप आदि पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को छूट प्रदान की गई थी। इसके अलावा, बजट 2026-27 में, भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत माल के आयात पर बीसीडी को छूट प्रदान की गई थी।
- एनएमईडीटी से 100% वित्तीय सहायता के साथ गवेषण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अड़तालीस निजी गवेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है।
- खनिज गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और उसे प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, समेकित अनुज्ञप्ति (सीएल) धारकों (50% तक की प्रतिपूर्ति, ₹8 करोड़ की सीमा के अधीन) और गवेषण अनुज्ञप्ति धारकों (ईएल) (व्यय का 50% तक, अधिकतम सीमा ₹20 करोड़ के साथ) के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति की स्कीम शुरू की गई है।
- खान मंत्रालय ने अपतट सीएल ब्लॉकों में अनुमोदित गवेषण कार्यकलापों पर समेकित अनुज्ञप्ति (सीएल) धारकों द्वारा किए गए पात्र गवेषण व्यय के 50% तक, जिसकी

अधिकतम सीमा ₹300 करोड़ तक है, की प्रतिपूर्ति के लिए एक स्कीम की शुरुआत की है।

- महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और सहयोग के लिए मंत्रालय ने अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलावी, मंगोलिया, मोजाम्बिक, पेरू, जाम्बिया, जिम्बाब्वे सहित कई देशों की सरकारों के साथ द्विपक्षीय समझौतों/समझौता ज्ञापनों/आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इसके अलावा, खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए खनिज सुरक्षा भागीदारी (एमएसपी), इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ), भारत-यूके प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पहल (टीएसआई), क्वाड आदि जैसे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों के साथ नियमित रूप से जुड़ा रहता है।
- खान मंत्रालय के अधीन खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के एक सरकारी उद्यम कैमयेन के साथ 15703 हेक्टेयर क्षेत्र में पांच लिथियम ब्राइन ब्लॉकों के गवेषण और खनन के लिए एक गवेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

*****